कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश.

क्रमांक / 1245 / तक / 2006 भोपाल, दिनांक 30 जून, 2006

प्रति,

समस्त जिला पंजीयक,

समस्त उप पंजीयक,

मध्यप्रदेश.

विषय :– शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित विलेखों के संबंध में ।

–––0–––

यह प्रश्न उद्‌भूत हुआ है कि जब मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण जैसी अर्द्ध शासकीय संस्थाओं द्वारा अपने मूल आवंटी को आवंटित भू–खण्ड का हस्तांतरण पत्र या पट्‌टा विलेख इसके आवंटन के समय नहीं कराया गया हो तथा आवंटी द्वारा स्वयं के कोष से उस पर भवन निर्माण कर लिए जाने के उपरांत उक्त संस्थाओं द्वारा भू–खण्ड के अंतरण का दस्तावेज उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाए, तब शुल्क केवल भू–खण्ड के मूल्य पर देय होगा या भू–खण्ड तथा भवन दोनों के मूल्य पर ?

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं जैसे गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण आदि द्वारा अपने मूल आंवटियों को भू–खण्ड के आवंटन के पश्चात् आवंटी द्वारा स्वयं के कोष से उस पर भवन निर्माण किया गया हो, उक्त संस्थाओं द्वारा मूल आवंटिती के पक्ष में भू–खण्ड के अंतरण के दस्तावेज के पंजीयन के समय शुल्क सिर्फ भू–खण्ड के मूल्य पर देय होगा, निर्मित संरचना के मूल्य पर नहीं । उक्त प्रकरणों मे शुल्क अपवंचन की संभावना इसलिए नहीं हैं, क्योंकि शासकीय / अर्द्ध शासकीय संस्थाओं से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे गलत जानकारी देकर शुल्क अपवंचन में सहयोग करेंगे ।

यहॉ यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि निर्माण के मूल्य पर शुल्क से छूट ऐसे प्रकरणों में लागू नहीं होगी, जिनमें अर्द्धशासकीय / शासकीय संस्था द्वारा किसी निजी संस्था के माध्यम से विकसित करवाकर संपत्ति विक्रय की गई हो ।

हस्ता / –
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश.